न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 54/2018
प्रकरण दर्ज – 07.08.2018
प्रकरण निस्तारण – 29.09.2021

अनुवानी प्रकरण

1. जगदीश पुत्र कल्याण सहाय
2. केदार पुत्र कल्याण सहाय
3. रामेश्वर पुत्र कल्याण सहाय
4. गीता देवी पुत्री कल्याण सहाय
   जाति जांगिड निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

– वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र बद्री जाति जांगिड निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक –29.09.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 कुल किता 7 कुल रकबा 1.87 है0 वाके ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान मे स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2020 को संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार नांगल राजावतान को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार नांगल राजावतान ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध मे अपने पत्रांक भू.अ./2021/589 दिनांक 23.02.2021 द्वारा कुरेजात पेश किये। बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वकील उभयपक्ष ने बटवारा दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं [illegible] मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)

अतः आदेश है कि तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 406 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 409/1 रकबा 0.354 है0, खसरा नंबर 410 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.884 है0 भूमि केदार पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 जगदीश पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 रामेश्वर पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 गीता पुत्री कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 जाति जांगिड सा. देह खातेदार हिस्सा रहेगा तथा खसरा नंबर 407/1 रकबा 0.804 है0 खसरा नंबर 411 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.884 है0 भूमि राधेश्याम पुत्र बद्री जाति जांगिड सा. देह खातेदार हिस्सा रहेगा तथा खसरा नंबर 408 रकबा 0.02 है0 खसरा नंबर 412 रकबा 0.05 है0 खसरा नंबर 409/2 रकबा 0.016 है0 खसरा नंबर 407/2 रकबा 0.016 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.102 है0 भूमि केदार पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/8 जगदीश पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/8 रामेश्वर पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/8 गीता पुत्री कल्याण सहाय हिस्सा 1/8 राधेश्याम पुत्र बद्री हिस्सा 1/2 जाति जांगिड सा. देह खातेदार हिस्सा रहेगा। कुरेजात डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

बृजेन्द्र मीना
उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान, (दौसा)